

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त 2020 — श्रावण 27, शक 1942

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

शुद्धि पत्र

क्रमांक/4673/एफ-03/28/विविध/2019/14-2.— छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 06 मार्च 2020 में यथा प्रकाशित महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन दुर्ग परिनियम, 2020 संबंधी अधिसूचना क्रमांक/1361/एफ-03/28/विविध/2019/14-2 दिनांक 02 मार्च 2020 के हिन्दी संस्करण में, कंडिका-6 में, खण्ड (क) तीन में, शब्द “परन्तु यह कि” के स्थान पर “परन्तु विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य अनुभाग में द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर के पदों के लिए 60 प्रतिशत कोटा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नियत किया जायेगा तथा 40 प्रतिशत कोटा विज्ञापन के जरिए सीधी भरती के लिए नियत किया जावेगा. यदि रिक्त की प्रकृति ऐसी हो कि विश्वविद्यालय या तो पदोन्नति के कोटे से या विज्ञापन के जरिए सीधी भरती के कोटे से वांछित प्रकार के व्यक्ति की भरती न कर सके तो कुलपति, छत्तीसगढ़ शासन से किसी उपयुक्त व्यक्ति की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त कर सकेगा.” पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.सी.पैकरा, संयुक्त सचिव.